राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-
मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
CentralState Farm, Suratgarh
District- Sriganganagar
PHONES : 01509- 220084,221420(Office) Tele-Fax: - 01509- 223877
e-mail - csfsuratgarh@rediffmail.com

क्रमांकः–सीएसएफ / एसओजी / सुरक्षा / 04 / 2021–2022 दिनांक11.11.2021

ई–निविदा सूचना

राष्ट्रीय बीज़ निगम लिमिटेड, केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ श्रीगंगानगर (राजस्थान) वर्ष 2021–22(01जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2022) खण्ड–1, और खण्ड (2, 3) के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों की फसलों एवं अन्य चल–अचल सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु पंजीकृत संस्थाओं से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है जो दिनांक 03.12.2021 सूबह 11:30 बजे तक प्राप्त की जायेंगी और दिनांक 04.12.2021 को दोपहर 12:00 बजे खोली जायेंगी। निविदा शुल्क रू. 590 / – एवं अग्रिम धन रू. 1,00,000 / –खण्ड–1 के लिए एवं रूपये 1,00,000 खण्ड–2 व खण्ड–3 के लिए जो कि RTGS के माध्यम से **National Seeds Corporation Ltd., Suratgarh** के खाता संख्या **34056542572 IFSC Code SBIN0007774 SBI, Suratgarh** में जमा करवांये। निविदा हेतु विस्तृत विवरण की जानकारी वेबसाइट www.indiaseeds.com, http//indiaseeds.eproc.in पर भी देखी जा सकती है निविदा हेतु हमारे ई–पोर्टल http//indiaseeds.eproc.in पर निविदादाता का पंजीकृत होना अनिवार्य है। बिना कारण बताये किसी भी निविदा स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार फार्म निदेशक के पास सुरक्षित रहेगा। शुद्धिपत्र केवल निगम की वेबसाईट पर ही अपलोड किया जायेगा।

निदेशक (फार्म)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़,
वित्तिय निविदा प्रपत्र

क्रमांकः–सी.एस.एफ./एस.ओ.जी./सु/04/2020–2021

दिनांक 11–11–2020

आनलाईन निविदा भेजने हेतु पताः–
फार्म प्रमुख
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिला श्रीगंगानगर(राज0)

निविदा प्राप्त करने की तिथी 03.12.2021
निविदा खोलने की तिथी 04.12.2022

विषयः– केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर(राज0)के अधिकार में उपरोक्त निविदा विज्ञप्ति मे सुरक्षा कार्य हेतु 1 वर्ष की अवधि (दिनांक 01 जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2022 तक) के लिये ठेके पर लेने हेतु निविदा प्रपत्र।

1 निविदादाता का नाम..

2 पिता/पति का नाम

3 पूरा पता..

....

4 दूरभाष /मो0 न0..

क्र.स.	खण्ड	सुरक्षा हेतु खण्डो एवं चको का विवरण	कोट की गई राषि रूपयों में(सभी कर सहित)प्रति माह
1 .	खण्ड न0–1	(यूनिट ए)38एसटीजी, 35एसटीजो ,37एसटीजी, बीआरपी–1, बीआरपी–3 (यूनिट बी)40एसटीजी,,42एसटीजी, 44एसटीजी, 41एसटीजी, 39 एसटीजी,	
2	खण्ड न0–2 एवं खण्ड न0–3 (एक साथ)	(खण्ड–2)आरपीएम–1, आरपीएम–2 आरपीएम–3, आरपीएम–4, 33पीबीएन, 31ए पीबीएन, 31बी पीबीएन, (खण्ड–3) 3एसजीएम, 4 एसजीएम, 5 एसजीएम, 34 पीबीएन	

मैने/ हम यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ /करते है कि उपरोक्त निविदा से संबंधित समस्त नियम व शर्तो कि प्रति जो तकनीकि बीड के साथ जमा है तथा जिस पर मेरे हस्ताक्षर है तथा उन नियम एवं शर्तो को पढ़ व समझ लिया है। मुझे/हमें सभी शर्ते मान्य है।

नोटः– उक्त अवधि के दौरान हिस्से आधारित पद्वति पर दिए गये चकों/ क्षैत्रो में सुरक्षा कार्य के लिए सम्बन्धित सुरक्षा ठेकेदार को भुगतान देय नहीं होगा।

हस्ताक्षर ....
निविदादाता का नाम.
सम्पूर्ण पताः–........................
....
....
....

दुरभाष संख्या........................
ईमेल

केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ में सुरक्षा ठेका वर्ष 2021–2021 हेतु पार्टियों द्वारा निविदा दाखिल करते समय ध्यान देने योग्य बाते एवं जमा किये जानेवाले महत्वपूर्ण दस्तावेजों का विवरण। शेष जानकारी एवं जमा किये जानेवाले अन्य दस्तावेज निविदा के नियम एवं शर्तों के अनुरूप

➢ ध्यान देने योग्य बातें

1. तकनीकि निविदा
2. वितीय निविदा
3. वितीय एवं तकनीकि निविदा ऑन–लाइंन जमा करनी हैं।

➢ तकनीकि निविदा के साथ जमा की जानेवाले दस्तावेज।

1. निविदा शुल्क रु 590/– का डी. डी./पावती।
2. अग्रिम धन की डी. डी. रु 1,00,000/– (एक लाख) खण्ड–1 के लिये एवं रूपये 1,00,000/–(एक लाख) खण्ड–2 व खण्ड–3 के लिए।
3. PSA(Regulation) Act 2005 के अनुसार लाइसेंस की प्रति।
4. सुरक्षा कार्य हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराने का 03 वर्षो का अनुभव प्रमाण पत्र।
5. आयकर वैलेड (return) 2019–20, 2020–21।
6. फार्म/पार्टी की पंजीकरण संख्या।
7. लेबर लाइसेंस की प्रति पूर्व कराये गये कार्य हेतु।
8. जी.एस.टी. पंजीकरण
9. ई.पी.एफ/ई.एस.आई. पंजीकरण
10. लेबर विभाग में फर्म पंजीकरण
11. पैन कार्ड पंजीकरण
12. 2 पासपोर्ट फोटो।
13. शपथ पत्र काली सूची में न होने का।
14. पुलिस विभाग से चरित्र प्रमाण पत्र।
15. वार्षिक टर्न ओवर रूपयें 50 लाख वर्ष 2019–20, 2020–21 के लिये।
16. शपथ पत्र रू. 100/– स्टॉम्प पेपर पर (Duly) Notorized) निविदा के नियम एवं शर्तों के क्लॉज संख्या 5 के अनुरूप।

नोट :–आनलाईन वित्तीय निविदा बिड के साथ कोई भी दस्तावेज जमा न करें केवल वित्तीय निविदा निर्धारित प्रपत्र मे ही जमा करें।

INSTRUCTIONS TO BIDDER – ONLINE MODE

DEFINITIONS:

- **C1 India Private Limited:** Service provider to provide the e-Tendering Software.
- **NSCL e-Procurement Portal:** An e-tendering portal of National Seeds Corporation Limited ("NSCL") introduced for the process of e-tendering which can be accessed on https://indiaseeds.eproc.in.

I. ACCESSING / PURCHASING OF BID DOCUMENTS :

- It is mandatory for all the bidders to have Class-III Digital Signature Certificate (With Both DSC Components, i.e. Signing & Encryption) from any of the licensed Certifying Agency under CCA, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India to participate in e-tendering portal of NSCL. Bidders can see the list of licensed CA's from the link www.cca.gov.in C1 India Pvt. Ltd. also facilitate Class III Digital Signature Certificate (With Both DSC Components, i.e. Signing & Encryption) to the bidders. Bidder may contact C1 India Pvt. Ltd. at mobile no. +91-8130606629 for DSC related queries or can email at vikas.kumar@c1india.com
- To participate in the e-bid, it is mandatory for the Applicants to get themselves registered with the NSCL e-Tendering Portal (https://indiaseeds.eproc.in) to have a user ID & Password which has to be obtained by submitting a non-refundable annual registration charges of Rs. 3416/- inclusive of all taxes through **online** mode. Validity of Registration is 1 year.
- The amendments / clarifications to the tender, if any, will be posted on the NSCL e-Tendering Portal (https://indiaseeds.eproc.in).
- To participate in bidding, bidders have to pay EMD (refundable) as per the amount mentioned in the tender document online through NEFT/RTGS after generating E-challan from https://indiaseeds.eproc.in.
- To participate in bidding, bidders have to pay Tender Processing Fee of Rs. 570/- inclusive of all taxes (Non-refundable) through online mode (internet banking/debit card/credit card).
- The Bidder may modify or withdraw their bid after submission prior to the Bid Due Date. No Bid shall be modified or withdrawn by the Bidder after the Bid Due Date and Time.
- Both 'EMD' and 'Tender Document Fee' are mentioned in individual tender document as published at NSCL e-Tendering Portal (https://indiaseeds.eproc.in).
- For helpdesk, please contact e-Tendering Cell and Help Desk Support MondaytoFriday Ph: **0124-4302033/36/37, nsclsupport@c1india.com.**

- It is highly recommended that the bidders should not to wait till the last date of bid submission to avoid complications like internet connectivity issue, network problems, system crash down, power failure, browser compatibility issue, system compatibility issue, improper digital signature certificate problem etc. In view of this context, neither M/s National Seeds Corporation Limited nor M/s. C1 India Pvt. Ltd will be responsible for such eventualities.

dUnh; jkT; Qke! lijrx<

fu;e o 'krs

o"kZ 2021&22 ¼1-1-2022 ls 31-12-2022½ esa Qke! lEink] [kM+h Qly] lxfgr Qly ,oa vU; Qke! lalk/kuksa ¼py@vpy lEifÙk½ dh lqj{kk dk BsdkA

1. फार्म संपदा, खड़ी फसल, संग्रहित फसल, पेड, चल–अचल संपत्ति एवं अन्य संसाधनों को पशु/पशुधन एवं अन्य से होने वाले नुकसान को रोकने हेतु ''जो जहॉ है, जैसे है के आधार पर'' चौबीस घंटे सातों दिन सुरक्षा हेतु निविदादाताओं से निविदा आमंत्रित की जाती है। करार की अवधि (1.1.2022 से 31.12.2022) साल होगी।

2. निविदा शुल्क रू. 590/–(GST सहित/taxes as applicable) एवं अग्रिम धन रू. 1,00,000/– खण्ड़ 1 व रुपये 1,00,000/–(खंड 2 व 3) के लिए जो कि RTGS के माध्यम से **National Seeds Corporation Ltd., Suratgarh**के खाता संख्या 34056542572 **IFSC Code SBIN0007774 SBI, Suratgarh** में जमा करवांये।निविदा हेतु विस्तृत विवरण की जानकारी वेबसाइटwww.indiaseeds.com, http//indiaseeds.eproc.inपर भी देखी जा सकती है

3. निविदाता भरी हुई निविदा दिनांक 3.12.2021 को सुबह 11.30 बजे तक Online जमा कर सकते है। जो दिनांक 4.12.2021 को दोपहर 12.00 बजें खोली जायेगी। तथा तकनीकी रूप से वैध पाई गई निविदाताओं की वित्तिय बीड सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरांत उत्तरोत्तर खोला जायेगा। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

4. निविदादाता पार्टियों के पास सरकारी/अर्धसरकारी/सरकारी उपक्रम/स्वायत संस्था में संतोषजनक सुरक्षा कार्य हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। इस बाबत पार्टियों को संबंधित संस्था द्वारा संतोषजनक कार्य पूर्ण करने संबंधी जारी प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है।

5. पार्टियों को तकनीकी निविदा के साथ इनकम टैक्स रिटर्न, फर्म पंजीकरण, सर्विस टैक्स संख्या, जी.एस.टी. संख्या, ईपीएफ पंजीकरण संख्या, ईएसआई पंजीकरण संख्या (यदि लागू हो तो) पैन कार्ड संख्या, चरित्र प्रमाण पत्र, लेबर लाइसेंस पूर्व में कराये गये कार्य हेतु(यदि कोई हो तो) एवं PSA License की प्रति, वार्षिक टर्न ओवर 50 लाख हेतु Balance sheet की प्रति वित्तीय वर्ष 2019–20 व 2020–21 के लिये एवं दो पासपोर्ट साईज फोटो लगाना आवश्यक है। साथ ही, पार्टी को एक शपथ पत्र सौ रूपये के स्टाम्प पेपर पर देना होगा कि उनकी फर्म को किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है। पार्टी को लेबर विभाग से फर्म का पंजीकरण कराये जाने/कराने की प्रति एवं PSA License की प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

6. निविदा के नियम एवं शर्तों की स्वीकारोक्ति हेतु पार्टी को नियम एवं शर्तों के प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है तथा उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि तकनीकी निविदा के साथ जमा किए गए दस्तावेज उनके द्वारा स्व–सत्यापित । निविदा में MSME पंजीकृत फर्मो को प्राथमिकता दी जायेगी।
7. निविदादाता द्वारा निविदा के साथ अग्रिम धन (Earnest Money) 1,00,000/–(रूपये एक लाख मात्र) जो कि खण्ड 1 के लिए व खंड (2 व 3) हेतु रुपये 1,00,000/– की राशि तकनीकी निविदा के साथ जमा कराना अनिवार्य है। अग्रिम धन (Earnest Money) के बिना कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
8. निविदादाता खण्ड 1 या खंड (2 व 3) में किसी एक खंड हेतु ही राशि कोट कर सकता है लेकिन फार्म प्रमुख के निर्णय अनुसार खंड 1 यूनिट ए , खंड 1 यूनिट बी0 व खंड 2 व 3 पर अलग–अलग सुरक्षा सुपर वाइजर नियुक्त करना होगा एवं सम्बन्धित सुरक्षा सुपरवाइजर का पुलिस वेरिफिकेशन प्रस्तुत करना होगा सुरक्षा सुपरवाईज का कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में फार्म प्रबन्धन की अनुसंशा पर सम्बन्धित को हटाकर अन्य को नियुक्त करना होगा। सुरक्षा गार्डो की नाम बद्व सूची मय मोबाइल न0 फार्म प्रबन्धन को उपलब्ध कराना होगा।
9. सफल निविदाता को खण्ड 1 के सुरक्षा ठेके के लिए रू. 2,50,000–(दो लाख पचास हजार मात्र) व (खंड 2 व 3) के लिए रू. 2,50,000/– धरोहर राशि एक साप्ताह के अन्दर जमा कराना होगा। सफल निविदाता द्वारा निविदा के साथ जमा कराई गई Earnest money धरोहर राशि में समायोजित कर दी जायेगी, जो संतोषजनक रूप से ठेके की अवधि समाप्त होने पर ब्याज मुक्त रूप से पार्टी को वापस की जायेगी।
10. धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा। असफल निविदादाता को उनके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि निश्चित अवधि के अन्दर उनके लिखित अनुरोध पर उत्तरोतर वापस की जायेगी।
11. ठेकेदार एंव उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति पर्यावरण, जलीय थलीय जीव जन्तुओं, जंगली जानवरों, मोर, तीतर आदि पक्षियों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करेंगें, उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नही पहुॅचायेंगे और नही पहुॅचाने देंगें।
12. ठेकेदार किसी भी प्रकार के फार्म उत्पादन जैसे पेड़ पौधे, लकड़ी दवा रासायनिक खाद, डीजल, फार्म की मिट्टी आदि बिना गेट पास व पर्याप्त कागजात के बाहर नही ले जाने देगा और न खुद ले जायेगा। ठेकेदार फार्म के संसाधनों को नुकसान से बचाने हेतु सख्त/सुदढ व्यवस्था रखेगा। ऐसे किसी भी शिकायत के प्रमाणित होने पर, ठेकेदार उक्त हानि के लिए फार्म को क्षतिपूर्ति करेगा।

13. यदि ठेकेदार आवंटित फार्म के क्षैत्र में संदिग्ध अपराधिक व्यक्तियों, वाहनों के प्रवेश को पूर्ण प्रतिबधित करेगा फिर भी यदि आंवटित क्षैत्र में किसी प्रकार की अवांछनीय घटना घटित होती है तो इसके लिए ठेकेदार पूर्ण उत्तरदायी होगा।
14. ठेकेदार यह सुनिश्चत करेगा कि पशुधन द्वारा अवैध जबरदस्ती नाली पानी को न तोड़ना/बंधे को नुकसान से बचाना व अवैध चराई और चोरी रोकना एंव अन्य से फसल/फार्म संपदा को कोई नुकसान न हो।
15. ठेकेदार को फसल व फार्म संपदा को बचाने हेतु फार्म द्वारा निर्दिष्ट खण्ड न0–1 में यनिट ए में 10, खंड न0–1 यूनिट बी में 11, खण्ड न0–2 में 11पॉइन्ट, खण्ड न0–3 में 11, पाईन्टो पर सुरक्षा गार्डो के माध्यम से पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करवानी होगी। ठेकेदार यह सुनिश्चत करेगा कि जहॉ भी उसके सुरक्षा गार्ड तैनात है वहा दुसरा सुरक्षा गार्ड आने के बाद ही पहला सुरक्षा गार्ड चक/पाईन्ट से जायेगा। ठेकेदार यह सुनिश्चत करेंगे कि उनके द्वारा लगाए गए सुरक्षा गार्ड पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करेंगें तथा वे फार्म अधिकारी अथवा कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार नही करेंगे अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।
16. फार्म प्रशासन द्वारा इंगित किये गये विभिन्न चकों/पाईन्टों/संवेदनशील पाइन्टों की सुरक्षा निरंतर ठेकेदार द्वारा सुनिश्चित की जायेगी साथ ही ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेगें कि उनके द्वारा लगाए गए सुरक्षा गार्ड पूरी ईमानदारी से अपनी डयूटी करें तथा वे फार्म अधिकारी अथवा कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं करेगें अन्यथा उनके विरुद्व नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। चोरी डकैती व अन्य अपराधिक घटना डयूटी स्थल की सीमा में होनें पर पुलिस को तुरन्त बुलाना व FIR दर्ज करानें जैसी आवयश्क कार्यवाही करनी होगी।
17. ठेकेदार किसी भी फार्म कर्मचारी का रिश्तेदार या सम्बन्धी नही होना चाहिए। ठेकेदार द्वारा लगाए गए सुरक्षा गार्ड किसी भी फार्म अधिकारी/ कर्मचारी व कार्य कर रहे अन्य ठेकेदार से किसी भी प्रकार का विवाद/झगडा इत्यादि नही करेंगे। कोई विवाद होने पर इसकी रिपार्ट सुरक्षा अधिकारी/फार्म प्रबंधन को देंगे। सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने का ठेका उसी पार्टी को दिया जायेगा जिसका चाल–चलन सही हो तथा वे निगम की काली सूची में न हो। ब्लैक लिस्टेड व्यक्ति से संबंधित पार्टी को ठेका नही दिया जायेगा, जैसे उनकी पत्नी/पुत्र व अन्य नजदीकी रिश्तेदार इत्यादि।
18. कार्य आदेश जारी होने के पश्चात ठेकेदार/प्रतिनिधि स्वंय भी फार्म से संबंधित खण्ड/ईकाई मे उपस्थित रहेगा। ठेकेदार किसी भी दशा में ठेके के किसी भी व्यक्ति अथवा फर्म को किराये पर नही देगा । ठेकेदार प्रतिदिन फार्म

प्रबंधन/सुरक्षा अधिकारी से मिलकर उन्हें फार्म की फसलों तथा फार्म सम्पदा को बचाने हेतु लगाए गए सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था से अवगत करायेगा तथा इस बाबत प्रबंधन द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करेगा। निर्देशों की अवेहलना की स्थिति में फार्म प्रबंधन उनका ठेका रद्द करने के साथ–साथ उनके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि भी जब्त की जा सकती है।

19. निविदादाता फार्म की समस्त चल–अचल सम्पत्ति व फसलों की सुरक्षा के लिए पॉईन्टवाइज सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से सम्पूर्ण सुरक्षा सूनिश्चित करवानी होगी । फार्म कर्मचारियों द्वारा निरिक्षण के दौरान इंगित पांइट पर तैनात सुरक्षा गार्ड अनुपस्थित पाया जाता है तो रुपये 500 की कटौती सुंरक्षा ठेकेदार के बिल से की जायेगी।
20. ठेकेदार से प्राप्त सवय्ंवस्थित बिल का भुगतान समाप्त हुए माह के लिए क्रमशः अगले महीने मे चेक द्वारा किया जायेगा। ठेकेदार यह भी सुनिश्चत करेगा कि उसने लगाये गये सुरक्षा गार्ड से संबंधित ई.पी.एफ, ई.एस.आई. व सेवा कर इत्यादि का भुगतान कर दिया है तथा उन्हें इस बाबत दस्तावेज लगाने होगे। किसी भी प्रकार का टैक्स जो नियमान्तगर्त देय होगा ठेकेदार के मासिक बिल से काटा जायेगा। ठेकेदार को पैन कार्ड की एक छायाप्रति लेखा शाखा को भी देनी होगी। भुगतान सुरक्षा अधिकारी व हैड गार्ड के संतोषजनक प्रमाणन के बाद लेखा विभाग द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में लागू ळैज जो भी नियमानुसार बनेगा वह बिल से काटा जायेगा।
21. ठेकेदार को राजस्थान में लागू न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 सहित सभी श्रम कानूनो का पालन करना होगा। स्वंय उसकी व उसके द्वारा नियोजित किसी भी सुरक्षा गार्ड की दुर्घटना की स्थिति में ठेकेदार स्वंय जिम्मेदार होगा तथा इस संबंध मे फार्म प्रबंधन की कोई भी जिम्मेदारी नही होगी।
22. ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व रू.100/– (रूपयें सौ मात्र) के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर उपरोक्त शर्तो को शामिल करते हुए केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ से लिखित अनुबंध करना होगा। नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी तथा इस मद मे आने वाला खर्च ठेकेदार का वहन करना होगा।
23. ठेकेदार फार्म ने सुरक्षा बाबत साप्ताहिक रिपोर्ट सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
24. ठेकेदार जो सुरक्षा कर्मी रखेगा उनको नियमित रूप से भुगतान करेगा तथा उनकी मासिक रिपार्ट सुरक्षा अधिकारी का देगा।
25. यदि ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नही पाया जाता है या उसके द्वारा करार के नियम एंव शर्तो की अनुपालना नही की जाती है तो फार्म प्रबंधन 15 दिन का नोटिस देकर उसका ठेका रद्द कर सकता है तथा वर्तमान ठेका किसी अन्य पार्टी

को आंवटित किया जा सकता है। फार्म प्रबंधन ठेका रद्द करने के साथ–साथ ठेकेदार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि को जब्त भी कर सकता है। ठेकेदार को फार्म प्रबंधन द्वारा फार्म सम्पदा, फसलों की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार कार्य करना होगा।

26. ठेकेदार का कार्य संतोषप्रद/अच्छा पाये जाने की अवस्था में फार्म प्रबंधन आवश्यकतानुसार ठेके की अवधि को वार्षिक आधार पर बढा सकता है। जिसकी नियम व शर्ते पूर्ववर्ती करार के अनुरूप होगी।
27. ठेकेदार यह सुनिश्चत करेगा कि फसल कटाई के पश्चात कोई पशु फार्म क्षैत्र में बिना चराई परमिट के न आए तथा अवांछित चराई न हो अन्यथा उसके नुकसान की भरपाई ठेकेदार से की जायेगी।
28. ठेकेदार को संबंधित चक की चल–अचल सम्पत्ति जैसे खड़े पेड़ो एंव अन्य फार्म सम्पत्ति "जो जहॉ हो" के अनुसार रात्रि व दिन मे उनकी सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्ड को लगाना होगा। 24 घण्टे सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी सुरक्षा कार्य मे दक्ष सुरक्षा रक्षकों को कार्य पर लगायेगा।
29. ठेकेदार सुरक्षा गार्ड को सिटी, लाठी, टॉर्च एंव जरूरी संसाधन जो फार्म संसाधनो एंव सम्पदा को नुकसान से बचाने के लिए जरूरी होगा, उपलब्ध करायेगा । ठेकेदार द्वारा लगाए गए अपने कर्मियों की पहचान पत्र देगा जो कि कर्मियों के ड्यूटी के दौरान दृष्टीय रूप से लगाना होगा।
30. ठेकेदार फार्म पर किसी भी अवांछित/अपराधि सुरक्षा गार्ड को कार्य पर नही लगायेगा, जिससे कि फार्म का अहित हो या उसने अहित किया हो उसे सरकार द्वारा प्रतिबंधित घोषित किया गया हो या वह सुरक्षा गार्ड फार्म अधिकारी/कर्मचारी से द्वेष रखता हो।
31. फार्म सम्पदा, फसल एंव इसकी चल–अचल सम्पत्ति के नुकसान की स्थिति मे उसकी भरपाई ठेकेदार के मासिक बिल/उनके द्वारा जमा किया गया अमानत राशि व प्रतिभूति राशि से की जायेगी।
32. ठेकेदार द्वारा लगाए गए सुरक्षा गार्ड की उम्र कम से कम 18 वर्ष तथा अधिक से अधिक 50 वर्ष होनी चाहिए। ठेकेदार को फार्म पर लगाए गए सुरक्षा गार्ड की जानकारी फार्म प्रबंधन को देनी होगी।
33. ठेकेदार फार्म पर लगाए गए सुरक्षा गार्ड को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर घोषित न्यूनतम वेतनमान मासिक/ साप्ताहिक आधार पर निर्धारित समय मे देगा तथा फार्म इसके लिए जिम्मेदार नही होगा। यदि ठेकेदार उन्हे न्यूनतम वेतनमान मासिक/साप्ताहिक वेतन देने मे असफल रहता है तो फार्म प्रबंधन सुरक्षा गार्ड को उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए मजदूरी का भुगतान राजस्थान राज्य में लागू

न्यूनतम मजदूरी के आधार पर करेगा तथा इस मद में आने वाले खर्च की वसूली ठेकेदार को देय बिल /उसकी अमानत राशि व प्रतिभूति राशि से की जायेगी।

34. ठेकेदार इस बात के लिए भी उत्तरदायी होगा कि वह फार्म पर लगाए गए सुरक्षा गार्ड को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अतंगर्त मजदूरी का भुगतान व जिसका रिकॉर्ड रखना होगा तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की पालना के लिए स्वंय जिम्मेदार होंगा।

35. किसी भी संगठन, ट्रेड यूनियन की हडताल या भीड़ द्वारा उत्पात की स्थिति में ठेकेदार अपने क्षैत्र के अंतगर्त आने वाली फार्म संपदा/फसलों को नुकसान से बचाने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से ठेकेदार की होगी।

36. यदि ठेकेदार ठेका का कार्य बीच मे छोडता है या इस करार के किसी नियम अथावा शर्तो का उल्लधंन करता है तो फार्म को इस करार को समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा उसके धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

37. यदि किसी अवधि (टर्म)या मामले के कारण एनएससी और दूसरे पक्ष के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो दोनों पक्ष पारस्परिक समझदारी और चर्चा के माध्यम से इसे सुलझानें का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो मुद्दों को समय–समय पर संशोधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दो को हल करना दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। इस प्रवधान के तहत, अध्यक्ष–सह–प्रबध निदेशक, राष्टीय बीज निगम लिमिटेड दोनों पक्षों की सहमति से मामलें को हल करनें के लिए एकमात्र मध्यस्थत नियुक्त करेंगे और दोनो पक्षों को उनके निर्णय का पालन करना होगा। दोनों पक्ष अदालत में जानें से पहले, ऐसे विवाद को मध्यस्थता के माध्यम से हल करनें के लिए बाध्य होगें। मध्यस्थता बैठक सूरतगढ में आयेजित की जाएगी और अंग्रेजी भाषा में होगी। सूरतगढ न्यायालय ही क्षेत्राधिकार होगा।

38. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक(फार्म) के पास सुरक्षित रहेगा। फार्म निदेशक के पास यह अधिकार भी सुरक्षित रहेगा कि वे बिना कोई कारण बताये ठेकेदार का ठेका उसे 15 दिनों का नोटिस देकर रद्द कर सकते है।

39. यदि ठेकेदार अनुबंध की किसी नियम व शर्तो का उल्लधंन करता पाया जायेगा अथवा फार्म को समूचित सुरक्षा प्रदान करने में अक्षम अथवा फार्म की फसलों, मशीनों व सम्पदा अदि की सुरक्षा करने में अक्षम पाया जाता है तो सुरक्षा अनुबंध को खत्म किया जा सकता है। तथा ठेकेदार/फर्म को सक्षम अधिकारी के विवेकाधिकार द्वारा ब्लैक–लिस्ट कर दिया जायेगा एंव जमा प्रतिभूति राशि को भी जब्त कर लिया जायेगा।

40. यदि फार्म मे कोई नुकसान होता है तो फार्म निदेशक द्वारा एक कमेठी गठित की जायेगी जो नुकसान का आंकलन करेगी। ठेकेदार या उसके द्वारा नामित व्यक्ति आंकलन मे शामिल होगा। यदि समय पर नही आता है तो कमेटी का निर्णय मानना होगा।
41. फार्म की किसी भी प्रकार की फसल, मशीन, सम्पदा आदि के नुकसान/चोरी की भरपाई का पूर्ण उतरदायित्व ठेकेदार होगा। यदि ठेकेदार 15 दिवस के भीतर हुए नुकसान की भरपाई नही करता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार के मासिक भुगतान मे से की जायेगी। इस बाबत फार्म निदेशक का निर्णय ठेकेदार पर बाधित होगा।
42. ठेकेदार निगम के विरूद्ध किसी भी भ्रष्टाचार मे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष/अपरोक्ष रूप से शामिल नही होगा। यदि ठेकेदार निगम विरूद्ध किसी भ्रष्टाचार गतिविधियों मे संलिप्त पाया जाता है, तो उसके साथ हुए सुरक्षा अनुबंध को समाप्त कर दिया जायेगा तथा बचा हुआ कार्य उसके हर्जे खर्चे पर सम्पादित करवाया जायेगा।
43. सुरक्षा ठेकेदार तीनों खण्डों मे बने हुये फाटक मे आवारा पशु नही लायेंगें तथा आवारा पशुओं को सूरतगढ़ की गोशाला में भेजेगें। इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी पशु, भेड़ बकरी इत्यादि को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुॅचनी चाहिए। आवारा पशुओं के फार्म में प्रवेश प्रतिबंधित करने बाबत जो भी संवेदनशील प्वाईट जिनकी जानकारी सुरक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर दी जावेगी, पर चौकीदारो की नियुक्ति करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। चौकीदार नियुक्त न करने की स्थिति मे सुरक्षा ठेकेदार के मासिक बिल मे से उचित कटौती की जायेगी।
44. सुरक्षा कार्य के लिए फार्म द्वारा किसी भी प्रकार का कोई वाहन व अन्य साधन उपलब्ध नही कराया जायेगा। ठेकेदार का इन सभी साधनों की व्यवस्था अपने खर्च पर स्वंय करनी होगी।
45. सुरक्षा ठेके की अवधि के दौरान किसी भी खण्ड मे अगर कोई चक आउट-सोसिंग के लिये दिया जाता है तो उस चक की सुरक्षा आउट-सोसिंग वाले ही करेंगें और उस चक की सुरक्षा खर्च के रूपये प्रति चक प्रतिमाह औसत के आधार पर सुरक्षा ठेकेदार को नही दिया जायेंगें।
46. यह कि ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि व श्रमिक फार्म की किसी सम्पत्ति को न तो नुकसान पहुॅचायेगें और नही उसका उपयोग करेगें। किसी प्रकार से नुकसान व अनियमितता में लिप्त पाये जाने पर सुरक्षा कर्मी के प्रति कडी दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए उसका नाम काली सूची मे डाल दिया जायेगा और हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति ठेकेदार से की जायेगी।

47. यह कि ठेकेदार द्वारा कार्य शुरू करने के बाद वह किसी भी प्रकार की लापरवाही करता है या खण्ड प्रभारी, सुरक्षा अधिकारी के दिशा निर्देशानुसार सुरक्षा कार्य नही करता है मौखिक व लिखित नोटिस देने के बाद भी सुरक्षा कार्य को सही ढ़ग से नही करता है तो फार्म प्रशासन के पास यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार का ठेका निरस्त करते हुए ठेकेदार का नाम काली सूची मे डाल कर ठेकेदार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि जब्त कर लें।

धोषणाः—

मैने फार्म में सुरक्षा ठेके की निविदा की नियम व शर्ते पढ ली है। उक्त सभी शर्ते मुझे मान्य है हस्ताक्षर मैने अपनी रजामन्दी से बिना किसी दबाव के पूर्ण होशहवास मे किये है। मेरे द्वारा सभी शर्ते स्वीकार की गई है तथा यह शर्ते केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ के साथ मेरे द्वारा किये गये अनुबन्ध का भाग मानी जायेगी।